

## सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अधीन रोजगार हेतु कोयला धारक आधिनियम 1957 के अधीन अधिगृहीत खाता संख्या । 21. प्लॉट संख्या. 537, 549, 611, 698, 844, 867, 872, 990, 991, 1009, 1101, 1190, 2070, 2071, 2099, 2072, 2073, 2074, 2086, 2090, 2095, 2096, 2105, 2107, 2112, 2115, 2100, 2075, 1088, 2079, 2082, 998. कूल रकबा- 8.00 एकड ( ग्राम: चमातु थाना: बालूमाथ, जिला: लातेहार के अंतर्गत आता है),, के तहत (झारखण्ड) के निवासी (1) श्री अजय प्रसाद पिता- श्री देवीचाण प्रसाद,(2) श्रीमति- कुमारी अनीता पिता- श्री देवीचाण प्रसाद (3) श्री अनुपम प्रसाद पिता- द्वारिका प्रसाद (4) विनोद कुमार पत्नी अंजलि कुमारी से संबन्धित एक प्रस्ताव प्रोसैस किया गया है।

अगर उक्त रोजगार पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ बेबसाईट [http://www.centralcoalfIELDS.in/indsk/noti\\_empl\\_lnd.php](http://www.centralcoalfIELDS.in/indsk/noti_empl_lnd.php) पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजो एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उक्त पंद्रह दिनों के अंदर कोई आपति प्राप्त नहीं होती है , तो यह मान लिया जाएगा की ग्राम: चमातु थाना: बालूमाथ , जिला: लातेहार के अंतर्गत आता है, के तहत (झारखण्ड) के निवासी (1) श्री अजय प्रसाद पिता- श्री देवीचाण प्रसाद,(2) श्रीमति- कुमारी अनीता पिता- श्री देवीचाण प्रसाद (3) श्री अनुपम प्रसाद पिता- द्वारिका प्रसाद (4) विनोद कुमार पत्नी अंजलि कुमारी के रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।